(Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP.B) B(2)9/99-L dated 30-12-2018 as required under Clause(3) of Article 348 of Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (Apptt.II)

No.Per (AP.B)B(2)9/1999-L

Shimla-171002, the 30 /4 December, 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Private Secretary, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001, notified vide this Department Notification of even number dated 26th February, 2001, namely:—

Short title an commencement:—

- and 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Staff
 Selection Commission, Private Secretary, Class-I,
 (Gazetted) Recruitment and Promotion (Second
 Amendment) Rules, 2018.
 - (2)These rules shall come into force form the date of publication in Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh

Amendment of Rule-1

 For Sub-rule(1) of rule 1 of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Private Secretary Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2001 hereinafter called as the "said rules", the following shall be substituted, namely:-

"These rules may be called the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 2001."

Amendment of Annexure-'A"

- 3. (a) In Annexure-"A" of the said rules in the heading for the words and sign "CLASS-II" and "H.P.SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD," the words and signs "CLASS-I" and "HIMACHAL PRADESH STAFF SELECTION COMMISSION" shall be inserted respectively.
 - (b) for existing provision against column No. 3, the following shall be substituted, namely:-"Class-I(Gazzetted) Ministerial Services."
 - (c) for the existing provision against column No. 11 the following shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 14 (fourteen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant and Senior

get Shame

Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing both by promotion from amongst the Personal Assistant possessing 19 (nineteen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer & Junior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing all by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 24 (twenty four) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer & Steno Typist combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANTION- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given

Jershamle

the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Servicemen(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

By Order

Addl. Chief Secretary(Personnel) to the Government of Himachal Pradesh

Endst No. as above Dated Shimla-171002, Copy forwarded to:- 30 / December, 2018

- The Secretary(Personnel/Finance/Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
- 2. The Secretary, HP Public Service Commission, Shimla-2.
- 3. The Secretary, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

Deputy Secretary(Personnel) to the Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग(नियुक्ति-॥)

संख्याः पर(एपी-बी)बी(2)-9 / 1999-एल

शिमला-2.

30 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की सम-संख्यक अधिसूचना तारीख 26 फरवरी, 2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, निजी सचिव, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :-

सक्षिंप्त नाम और प्रारम्भ.-

1(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2)ये नियम राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित

किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम-1 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड निजी सचिव, वर्ग-1, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम-1 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा. अर्थात : -

"इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 है।"।

उपबन्ध-'क' का संशोधन।

3. उक्त नियमों के उपबन्ध-'क' में:-

(क)शीर्षक में "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड" और "वर्ग- II" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर कमशः "हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग" और "वर्ग- I" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएगें।

(ख)स्तम्भ संख्याः ३ के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित(ख) जाएगा, अर्थात:-

" वर्ग-I(राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाए।"।

(ग)स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नित द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नित द्वारा जिनका निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौदह वर्ष का नियमित

सेवाकाल हो जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी; दोनों के न होने पर निजी सहायक (सहायक) में से प्रोन्नित द्वारा जिनका निजी सहायक, विरेष्ठ वेतनमान आश्रुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आश्रुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आश्रुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आश्रुलिपिक के रूप में संयुक्ततः उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सिम्मिलित होगी; उपरोक्त समस्त के न होने पर निजी सहायक (सहायक) में से प्रोन्नित द्वारा जिनका निजी सहायक, विरेष्ठ वेतनमान आश्रुलिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आश्रुलिपिक और आश्रुलिपिक के रूप में संयुक्ततः वौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यि का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यि को हो, को सिम्मिलित करके चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सिम्मिलित होगी।

(1)प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्मरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नित के लिये गणना में ली जाएगी, कि सम्मरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नित भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी: परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे विरुद्ध सभी व्यक्ति अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी: परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगे।

स्पष्टीकरणः— आंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी

Patrone

हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तगर्त भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी"। "।

आदेश द्वारा

अतिरिक्त मुख्य सचिव(कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः पर(एपी-बी)बी(2)-9 / 1999

शिमला-2,

30 दिसम्बर, 2018

1. सचिव(कार्मिक / वित्त / विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2.

3. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर।

(ओम प्रकाश भंडारी) उप सचिव(कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार।